भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3008
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' के तहत सीप्लेन सेवा

3008. श्री आलोक शर्मा:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री तेजस्वी सूर्या:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री चंदन चौहान:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री बसवराज बोम्मई:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या 'उड़ान' योजना के अंतर्गत 100 सीप्लेन मार्गों की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2026 तक कितने मार्गों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है;
(ख) क्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) को जल हवाई अड्डों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय या परिचालन सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार सीप्लेन सेवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले के प्रयासों की तुलना में इस संबंध में क्या सुधार किए गए हैं;
(घ) क्या कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ में मंगलुरु को अन्य प्रमुख तटीय या द्वीपीय स्थलों से जोड़ने के लिए सीप्लेन सेवाएं शुरू करने हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(च) क्या सरकार इस पहल के अंतर्गत असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक 3.0 (आरसीएस-उड़ान 3.0) के अंतर्गत वॉटर एयरोड्रोम (डब्ल्यूए) से सीप्लेन परिचालन शुरू किया

है। बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान, चिह्नित वॉटर एयरोड्रोम को जोड़ते हुए 30 वैध सीप्लेन मार्ग अवार्ड किए गए हैं।

(ख) से (च): आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत, और अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इच्छुक एयरलाइनें विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उड़ान योजना की बोली प्रक्रिया के माध्यम से कनेक्टिविटी और वॉटर एयरोड्रोम के विकास के लिए एक जलाशय की पहचान हो जाने पर, 'हवाईअड्डों/हेलीपोर्ट/वॉटर एयरोड्रोम का पुनरुद्धार' योजना के अंतर्गत इस हेतु धन आवंटन किया जाता है और वॉटर एयरोड्रोम के संबंधित स्वामी/विकासकर्ता को विकास कार्यों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
आज की तारीख तक, इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक में विकास के लिए किसी भी वॉटर एयरोड्रोम की पहचान नहीं की गई है।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, एयरलाइनों और विनिर्माताओं के साथ हितधारक परामर्श और कार्यशालाओं के माध्यम से वॉटर एयरोड्रोम के विकास में उत्तरपूर्वी राज्यों सहित, राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय, नियामक अनुमोदनों को सुगम बनाता है, सुरक्षा और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करता है, तकनीकी जानकारी साझा करता है और तकनीकी, विनियामक और वित्तीय पहलुओं में तालमेल के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

******